सराहनीय कार्य
इटावा पुलिस

प्रेस नोट-दिनांक 26.10.2026

- **अज्ञात हत्या की घटना का महज कुछ घण्टों में किया गया सफल अनावरण।**
- **आपराधिक षडयंत्र रचकर पिता की हत्या करने वाली नाबालिग बेटी व उसके प्रेमी (सह-अभियुक्त) को इटावा पुलिस द्वारा किया गया गिरफ्तार।**
- **कब्जे से 01 सिल का बट्टा (घटना में प्रयुक्त), 01 चाकू, रक्त रंजित कपड़े किये गये बरामद।**

अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन, कानपुर एवं पुलिस उपमहानिरीक्षक कानपुर परिक्षेत्र, कानपुर के निर्देशन एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा श्री बृजेश कुमार श्रीवास्तव के पर्यवेक्षण एवं अपर पुलिस अधीक्षक नगर इटावा श्रीमती बबिता सिंह के मार्गदर्शन एवं क्षेत्राधिकारी नगर श्री अवनीश सिंह के नेतृत्व में एसओजी/सर्विलांस व थाना सिविल लाइन पुलिस टीम द्वारा संयुक्त रूप से की गयी कार्यवाही।

घटना का संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 25.10.2026 को वादिनी काजल पत्नी अजय कठेरिया निवासी ग्राम भीकनपुर थाना जसवंतनगर जनपद इटावा द्वारा थाना सिविल लाइन पर तहरीर दी गयी कि उसके पिता श्यामसुन्दर कठेरिया एवं बहन पूजा टीबीटी अस्पताल, काशीराम कॉलोनी, में रहते थे। पिछले 2–3 दिनों से उनका अपने पिता एवं बहन से संपर्क नहीं हो पा रहा था। जब मैं अपने ससुर के साथ उक्त कमरे पर पहुँचीं तो देखा कि मेरे पिता का शव संदिग्ध परिस्थितियों में पाया गया तथा वादिनी की बहन पूजा लापता है। वादिनी की तहरीर के आधार पर थाना सिविल लाइन पर **मु0अ0सं0 181/2026 धारा 103(1)/238 बीएनएस** पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी का संक्षिप्त विवरण:-

जनपद में अपराध एवं आपराधिक गतिविधियों की रोकथाम एवं हत्या की घटना के सफल अनावरण व अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु **वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा श्री बृजेश कुमार श्रीवास्तव** के निर्देशन में दिनांक 26.10.2026 को एसओजी/ सर्विलांस टीम व थाना सिविल लाइन पुलिस टीम द्वारा थाना सिविल लाइन क्षेत्रान्तर्गत ग्वालियर तिराहे पर संदिग्ध व्यक्ति/वाहन चैकिंग की जा रही थी इसी दौरान आपराधिक अभिसूचना प्राप्त हुयी कि दिनांक 25.10.2026 को थाना सिविल लाइन क्षेत्रान्तर्गत हत्या की घटना कारित करने वाला अभियुक्त ग्राम सराय एसर में है। सूचना पर तत्काल पुलिस टीमों द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुये विधि का उल्लंघन करने वाली बालिका व उसके प्रेमी अभिलाष सिंह उर्फ छोटू उर्फ माचो पुत्र सोबरन सिंह को ग्राम सराय एसर चेकरोड के पास से गिरफ्तार किया गया।

पुलिस पूछताछ:-

पुलिस टीम द्वारा पूछताछ करने पर गिरफ्तार अभियुक्ता (नाबालिग) व उसके प्रेमी (सह-अभियुक्त) द्वारा बताया कि हम दोनों एक-दूसरे से प्रेम करते थे जिसका पता मेरे पिता को चला तो उन्होने उसका विरोध किया और मेरे साथ मारपीट की। मैं अपने प्रेमी अभिलाष सिंह उर्फ छोटू उर्फ माचो के साथ रहना चाहती थी मैंने अपने प्रेमी के साथ मिलकर योजना बनाकर पिता को चाय में नींद की गोली देकर सुला दिया उसके बाद मैनें व मेरे प्रेमी ने मिलकर अपने पिता को चारपाई से बांध दिया और सिलबट्टे से प्रहार करके हत्या कर दी। तत्पश्चात साक्ष्य छुपाने के लिए शव को

कबंल में लपेट कर बक्से में छिपा दिया तथा पिता के मोबाइल को जिससे अपने प्रेमी से बात-चीत करती थी उसको नाले में फेंक दिया।

उक्त गिरफ्तारी/बरामदगी के संबंध मे थाना सिविल लाइन पर पंजीकृत मु0अ0सं0 181/2026 धारा 103(1)/238 बीएनएस मे व धारा 3(5) बीएनएस की बढ़ोतरी की गई है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण-

1. अभिलाष सिंह उर्फ छोटू उर्फ माचो पुत्र सोबरन सिंह निवासी मातनटोला अहेरीपुर थाना बकेवर जनपद इटावा **उम्र करीब 21 वर्ष।**
2. 01 नाबालिग बेटी।

पंजीकृत अभियोग-

1. मु0अ0सं0 181/2026 धारा 103(1)/238 बीएनएस थाना सिविल लाइन जनपद इटावा।

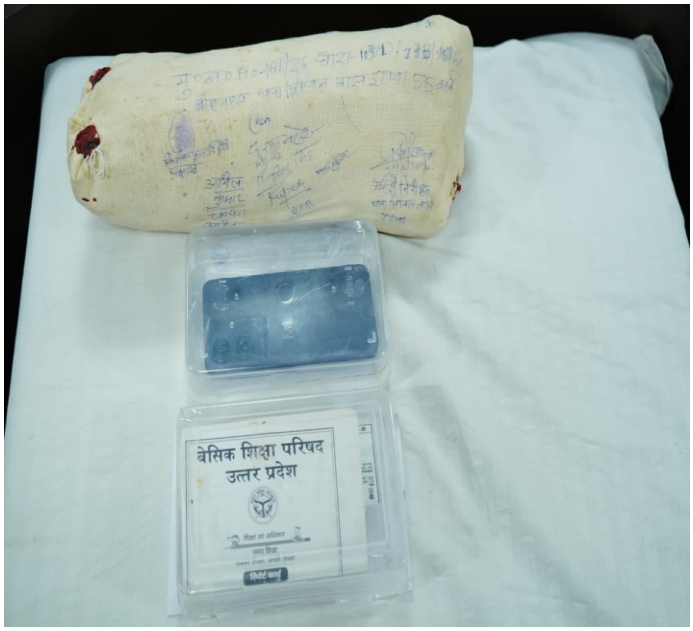
बरामदगी:-

1. सिल का बट्टा (घटना में प्रयुक्त)
2. 01 चाकू
3. रक्त रंजित कपड़े

पुलिस टीम- प्रथम टीम:- प्रभारी एसओजी/सर्विलांस।

द्वितीय टीम:- प्रभारी निरीक्षक श्री कण्व कुमार मिश्रा थाना सिविल लाइन मय टीम।


लोक भारती
डिजिटल


बेसिक शिक्षा परिषद
उत्तर प्रदेश

